पटना में दिनांक–19 सितम्बर, 2023 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	बिहार कृषि सेवा, कोटि–9 (सांख्यिकी) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति।	**1.**	**स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 6811.42 लाख (अड़सठ करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति।	**2.**	**स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

3.	बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप बल (Special Auxiliary Police) के सभी स्तर के कर्मियों के मासिक मानदेय में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि; यथा :–जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय रू०–20,700 से रू०–23,800 (बीस हजार सात सौ से तेईस हजार आठ सौ), सैप जवानों का मानदेय रू०–17250 से रू०–19,800 (सत्रह हजार दो सौ पचास से उन्नीस हजार आठ सौ) एवं रसोईया का मानदेय रू०–13110 से रू०–15100 (तेरह हजार एक सौ दस से पन्द्रह हजार एक सौ) किये जाने के संबंध में।	**3.**	**स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4.	राज्य स्कीम अन्तर्गत चालित मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना के तहत दो पदों को योजना मद से गैर योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के तहत पद सहित स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण की स्वीकृति के संबंध में।	**4.**	**स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5.	राज्य स्कीम अंतर्गत चालित 315 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना की योजना को योजना मद से गैर योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के तहत पद सहित स्थानांतरित करते हुये स्थायीकरण की स्वीकृति तथा कुल रूपये 65,62,00,000/–(रूपये पैंसठ करोड़ बासठ लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**5.**	**स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

6. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति, एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023" के गठन की स्वीकृति। — **6.** स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

7. बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग के सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक तथा अवर निरीक्षक को उत्क्रमित वेतनमान क्रमश पी०बी०–1+ग्रेड पे 2000/–, पी०बी०–1+ग्रेड पे 2800/–तथा पी०बी०–2+ग्रेड पे 4200/–में दिनांक– 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक–21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में। — **7.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. वैशाली जिलान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली का आवासीय भवन बनाने हेतु अंचल–बिदुपुर के मौजा–श्यामपुर उर्फ मंसूरपुर, थाना सं०–264, खाता सं०–376 के विभिन्न खेसरा (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–I) की कुल 5.44 एकड़ कृषि विभाग की भूमि को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **8.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. बिहार राज्य अंतर्गत कतिपय शहरी क्षेत्र से संबंधित पूर्व में हुये म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात् तैयार खतियान में कुछ वार्डो के रैयतों का लगान तालिका तैयार नहीं होने एवं रैयतों के भूमि का लगान निर्धारण नहीं होने के कारण राज्य के राजस्व हित में खतियान सम्पुष्ट होने के समय निर्धारित दर के अनुसार वैसे वार्ड जहाँ तत्समय लगान निर्धारण नहीं हो सका, में समतुल्य भूमि के लगान तालिका (Rent Roll) तैयार करने हेतु एक बार के लिए संबधित क्षेत्र के अपर समाहर्त्ताओं को शक्ति प्रदान करने के संबंध में। — **9.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. गया जिलान्तर्गत मानपुर अंचल के मौजा–शादीपुर, थाना सं०–246, खाता सं०–338, खेसरा सं०–386, रकबा–23.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि 6,21,00,000/–(छः करोड़ इक्कीस लाख) रूपए के भुगतान पर नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योग विभाग, बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **10.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल–चौसा, थाना सं०–130, मौजा–रसलपुर धुरिया (कलाशन बाजार) स्थित कुल–146.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि (संलग्न, परिशिष्ट–I) औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–28,25,10,000/– (अठाईस करोड़ पच्चीस लाख दस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योग विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण के संबंध में। — **11.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–दुजरा दियारा, थाना नं०–139 में रकबा–29.655 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर कॉस्टिंग यार्ड निर्माण करने तथा मौजा–मैनपुरा दियारा, थाना नं०–140 में रकबा–10.7939 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर सी० तथा डी० वेस्ट प्लांट एवं डम्पिंग यार्ड के निर्माण करने हेतु पाँच वर्षों के लिए देय कुल वार्षिक लगान क्रमशः मो०–28,54,293.75/–(अठाईस लाख चौवन हजार दो सौ तिरानवे रूपये पचहत्तर पैसे) एवं मो०–10,38,912.85/–(दस लाख अड़तीस हजार नौ सौ बारह रूपये पचासी पैसे) मात्र सहित कुल राशि मो०–38,93,206.60/–(अड़तीस लाख तिरानवे हजार दो सौ छः रूपये साठ पैसे) के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को अस्थायी रूप से पाँच वर्षीय लीज पर उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **12.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता अंचल के मौजा–सौढ़, थाना सं०–347, खाता सं०–1160, खेसरा सं०–190, रकबा–100 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हेतु 67,50,00,000/– (सड़सठ करोड़ पचास लाख) रूपये के भुगतान पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — **13.** स्वीकृत।

विधि विभाग

14. राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए चालक के आवश्यक कुल 85 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **14.** स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund-UIDF) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने के संबंध में। — **15.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2023–24 में खगड़िया जिलान्तर्गत संसारपुर में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियेां के निमित्त प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण कार्य के लिए कुल ₹7226.52/–लाख (बहत्तर करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र के अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **16.** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

17. राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी 115009 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर धुआँ रहित ईंधन हेतु एल०पी०जी० की सुविधा 2 गैस सिलेन्डर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित कुल–₹74,75,58,500/– (चौहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठावन हजार पांच सौ) एवं गैस रिफिलिंग के लिए अनुमानित वार्षिक राशि कुल–₹1,65,75,09,708/–(एक अरब पैंसठ करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ आठ) व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **17.** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

18. बिहार राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों में 03–06 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नामांकित बच्चों को दिये जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त बिहार स्टेट मिल्स को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 से दुग्ध चूर्ण सप्ताह में दो दिन उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना मद से कुल रूपया 2,32,20,70,000/– (दो सौ बत्तीस करोड़ बीस लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) वार्षिक व्यय की स्वीकृति। — **18.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में। — **19.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. डा० प्रभात कुमार नायक, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोपालगंज को दिनांक–07.08.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21. "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023" की स्वीकृति के संबंध में। — **21.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

22.	सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के भवन निर्माण एवं परिसर के विकास हेतु 1,12,30,35,000/–(एक अरब बारह करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अवशेष राशि 37,16,11,000/–(सैंतीस करोड़ सोलह लाख ग्यारह हजार रूपये) की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**22.**	**स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

23.	राज्य स्कीम मद से राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सेमरा, प्रखण्ड–सह–अंचल–चैनपुर, जिला–कैमूर (भभुआ) के विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन के अनुसार ₹46,07,97,000.00 (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर से निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति।	23.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

24.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत बागमती–शांतिधार–बूढ़ी गंडक लिंक योजना (प्राक्कलित राशि रू० 12096.11 लाख) (एक सौ बीस करोड़ छियान्वे लाख एवं ग्यारह हजार मात्र) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	24.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

25.	CFMS 2.0 वर्जन को दिनांक–01.04.2024 से लागू करने एवं वर्तमान CFMS प्रणाली हेतु अंतरिम अवधि (दिनांक–01.01.2022 से 31.03.2024) के लिए CTMIS एवं अन्य Functionality तथा CFMS हार्डवेयर के AMC के समतुल्य निर्धारित राशि ₹1,70,00,000/– (एक करोड़ सत्तर लाख रूपये) प्रति त्रैमास की दर से 09 (नौ) त्रैमास के लिए कुल ₹15,30,00,000/–(पंद्रह करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र (बेल्ट्रॉन मार्जिन एवं सभी कर रहित) भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**25.**	**स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

26.	श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा /राज्य व्यवसायिक परीक्षा आयोजन /मूल्यांकन/प्रश्न पत्रों के चयन एवं मॉडरेशन हेतु नामित पदाधिकारियों /कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	**26.**	**स्वीकृत।**

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

27. "सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014" में संशोधन हेतु सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। **27.** **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

28. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹49,20,00,000/– (उन्चास करोड़ बीस लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। **28.** **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

29. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹104,56,00,000/– (एक सौ चार करोड़ छप्पन लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। **29.** **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

30. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत बोधगया नगर परिषद् क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹91,18,00,000/– (एकानवे करोड़ अठारह लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। **30.** **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

31. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹87,46,00,000/– (सत्तासी करोड़ छियालीस लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। **31.** **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

32. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत बेतिया नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹63,56,00,000/– (तिरेसठ करोड़ छप्पन लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। — **32.** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

33. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत शिवहर नगर परिषद् क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹60,16,00,000/–(साठ करोड़ सोलह लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। — **33.** स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

34. CR. WJC No.-435/15 कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–30.04.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय की दिनांक–09.05.1972 की अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली याचिका तथा कर निर्देश से संबंधित आवेदन के लिए अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है", संबंधी प्रस्ताव पर अनुशंसा के संबंध में। — **34.** स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

35. श्री रामबाबू प्रसाद, के दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृति के उपरान्त मूल धारित पद अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल सं०–1 के तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता स्तर का पद) के पद पर अगले 2 (दो) वर्ष तक संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अधीक्षण अभियंता निरूपण अंचल सं०–1 के अतिरिक्त प्रभार देने के संबंध में। — **35.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

36. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में स्थित राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (State Organ & Tissue Transplant Organisation) (SOTTO), बिहार के लिए 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति। — **36.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

37. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18880 सृजित एवं रिक्त पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के 31982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 31982 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **37.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

38. बिहार समुह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) [बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010 के रूप में पुनर्नामित] तथा स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2016 (समय–समय पर यथा संशोधित) [स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2016 के रूप में पुनर्नामित] तथा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि को निरसित कर उसके स्थान पर बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)(भर्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2023 की स्वीकृति के संबंध में। — **38.** **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

39. बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ पहुँचाने में एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे विकास मित्रों को मानदेय 1ली सितम्बर, 2023 के प्रभाव से ₹13700/–(तेरह हजार सात सौ रूपया) प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹25000/– (पचीस हजार रूपया) प्रतिमाह करने एवं राज्य सरकार द्वारा देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता का अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय पर 5% वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष 01, जुलाई से लागू करने की स्वीकृति। — **39.** **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

40. परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०–4047, दिनांक–29.05.2023 द्वारा अधिसूचित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एव सेवाशर्त) नियमावली, 2023 को संलग्न अधिसूचना प्रारूप से प्रतिस्थापित करने के संबंध में। — **40.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

41. श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल हाजीपुर, सम्प्रतिः सेवा से बर्खास्त सहायक अभियंता के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–50/2014 से संबंधित विशेष वाद संख्या–56/2014 में दिनांक–01.02.2021 को पारित आदेश के द्वारा वाद को समाप्त किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–7559(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–7560 (एस) दिनांक–20.08.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के संबंध में। — **41.** स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

42. राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार की मांग संख्या–03 के अंतर्गत ₹100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — **42.** स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

43. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)]" की स्वीकृति के संबंध में। — **43.** स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

44. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत गोदाम चौकीदार के 16 (सोलह) पद एवं वित्तीय सलाहकार–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी के 01 (एक) पद अर्थात् कुल 17 (सत्रह) पदों को प्रत्यर्पित करते हुए वित्तीय सलाहकार के 01 (एक) पद, मुख्य लेखा पदाधिकारी के 01 (एक) पद एवं प्रारूपक के 08 (आठ) पद अर्थात् कुल–10 (दस) पदों का सृजन करने के संबंध में। — **44.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

45. वित्तीय वर्ष 2023–24 में अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक एवं शि.क्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्त्तमान मानदेय 11000/–रू० प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000/–रू० प्रतिमाह करने तथा राज्य सरकार द्वारा EPF हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 01 जुलाई से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति। — **45.** स्वीकृत।